

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
129/2025

दायर दिनांक
19.06.2025

निर्णय दिनांक
07.11.2025

अनवान

1. बंशीलाल पिता हजारी जाति भांबी आयु बालिग निवासी पावटिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. चुन्नीबाई पत्नी हजारी जाति भांबी आयु बालिग निवासी पावटिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. नारायणी पुत्री हजारी जाति भांबी आयु बालिग निवासी पावटिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. रतनी पुत्री हजारी जाति भांबी आयु बालिग निवासी पावटिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. रामेश्वर पुत्र हजारी जाति भांबी आयु बालिग निवासी पावटिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. शंकरि पुत्र हजारी जाति भांबी आयु बालिग निवासी पावटिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. हरजी पुत्र हजारी जाति भांबी आयु बालिग निवासी पावटिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. हांसु पुत्री हजारी जाति भांबी आयु बालिग निवासी पावटिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. जमना पुत्री हजारी जाति भांबी आयु बालिग निवासी पावटिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थीगण


बनाम

1. बालुराम पिता मथुरादास जाति वैष्णव आयु बालिग निवासी पावटिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. दलीचन्द पिता लालु जाति जाट आयु बालिग निवासी पावटिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. उदय पिता लालु जाति जाट आयु बालिग निवासी पावटिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री शांतिलाल माली
एकतरफा

प्रार्थीगण
अप्रार्थीगण


राजेश सुवालका
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पावटिया पटवार हल्का रूपाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 99 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 250, 252, 587/175 कुल कित्ता 03 कुल रकबा 0.31 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक को अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 3 के विरुद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के संयुक्त खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात मौजा पावटिया पटवार हल्का रूपाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 99 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 250, 252, 587/175 कुल कित्ता 03 कुल रकबा 0.31 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 हथियाना को 1000/- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्वा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 07.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला चित्तौड़गढ़
Page 2